भारत ने डब्लू टी ओ की गलतियों को सुधारने का एक एतिहासिक अवसर खो दिया

''बाली में, अंर्तराष्ट्रीय व्यापार के नाम पर लाखों लोगों की खाद्य और आजीविका सुरक्षा को ख़तरे में डालने का समझौता, हमें अस्वीर्काय है''

नई दिल्ली, 7 दिसंबर 2013, अधिकारिक तौर पर और मीडिया द्वारा डब्लूटीओ के बाली मंत्रीस्तरीय सम्मेलन में भारत की 'जीत' को लेकर हव्वा बनाए जाने से निराष, एलाइंस फॉर सस्टेनेबल एंड हॉलिस्टिक एग्रीकल्चर (आषा) ने कहा कि भारत ने विष्व व्यापार संगठन में मौजूद गंभीर समस्याओं को दूर करने का एक एतिहासिक अवसर खो दिया है। हालांकि भारत सरकार का प्रतिनिधिमंडल, भारी जीत के दावे कर रहा है पर वास्तव में भारत को 'बाली पैकेज' से, र्सवोपरि महत्व के खाद्य और आजीविका सुरक्षा पर इसके सही रूख के बावजूद कुछ नहीं मिला है। एक तरफ, पब्लिक स्टॉक होल्डिंग एग्रीमेंट, जी–33 और भारत द्वारा लिए गए जटिल रूखों पर समझौता करता है, जिसके परिणाम स्वरूप छोटे किसानों के लिए भविष्य में खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम और मूल्य सर्मथन उपायों पर प्रतिबंध लग जाता है. वहीं दूसरी तरफ, व्यापार सुविधा समझौता, विकसित देशों को उनकी इच्छानुसार किसी भी किस्म के प्रतिबंधों को लागू करने की छूट देता है, जो कि भारत में लाखों छोटे किसानों के हितों के लिए खतरा है। इसके अलावा, यह दर्षाता है कि विश्व व्यापार संगठन की कार्य पद्यति क्या है और यहां मौलिक असंतुलन और अन्याय के समाधान के बिना ही कृषि के समझौते कैसे होते हैं। आषा का मानना है कि बाली दौरे का दीर्घकालिक असल परिणाम, देष के किसानों के हितों के साथ ही नागरिकों की खाद्य सुरक्षा पर खतरे के बतौर सामने आएगा और बहुत संभव है कि यह परिणाम अल्पावधि में ही भी सामने आ जाए।

जब यह दर्षाता है कि 'बाली पैकेज' के दस्तावेज में तथाकथित शांति खंड (पीस क्लॉज) में चार साल की समय सीमा नहीं शामिल की गई है, वास्तव में कार्यक्रम का लक्ष्य चार साल में एक स्थाई समाधान का निर्माण करना है। यह अवास्तविक तौर से दिया गया है कि सालों से चल रही वार्ता से डब्लू टी ओ नियमों में कुछ बुनियादी समानता और न्याय के मसलों पर किसी भी किस्म के सुधारों के कोई परिणाम नहीं हैं। यह शांति खंड (पीस क्लॉज) अपनी भाषा में भी कमजोर है जहां अन्य सदस्य देष भारत के डब्लूटीओ विवाद निपटान तंत्र में दावे के लिए सिर्फ 'परहेज कर' सकते हैं। विष्लेषकों के अनुसार यह वह भाषा नहीं है जो अन्य देषों को भारत को विवाद निपटान तंत्र से खींचकर ला सकने से परे रख सके।

इसके अलावा, यह दर्षाता है कि अंतरिम समाधान मुख्यतः एओए (कृषि पर समझौता) के संदर्भ में ही है, जब्कि सबसिडी और प्रतिकारी उपाय के समझौते (एएससीमए) के लिए यह नहीं है, जो कि अन्य देषों के लिए भारत को विवाद निपटान तंत्र में शामिल करने की जगह छोड़ता है (यह 6 दिसंबर के दस्तावेज के विष्लेषण पर आधारित है)। यह ये भी दर्षाता है कि देष की भविष्य की प्राथमिकताओं पर ध्यान दिए बगैर ही भारत को दबाव में डाला गया है। भारत ने अपनी घरेलू नीतियों, कार्यक्रमों और तंत्र को आज के समय में गैरजरूरी तौर पर विस्तृत आकडों और रिपोर्टिंग तंत्र के साथ अंतराष्ट्रीय जांच के लिए खोल दिया है।

उद्घाटन सत्र में वाणिज्य मंत्री आनंद र्शमा का बयान कि 'कृषि के अस्तित्व का पहलू इसके किसी भी वाणिज्यिक पहलू से ज्यादा महत्वपूर्ण है और कोई भी व्यापार समझौता वैष्विक स्तर पर भूख उन्मूलन और भोजन के अधिकार के साझे उत्तरदायित्वों के तारतम्य के साथ ही होना चाहिए, जो कि एमडीजी के अंतरिम हिस्से हैं। हमारे लोगों की भोजन सुरक्षा के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता और हमारी सरकार पर भोजन और आजीविका सुरक्षा का वैधानिक उत्तरदायित्व है और यह हमारी नैतिक प्रतिबद्धता है। डब्लूटीओ के इस बाली पैकेज के साथ ही, किसी भी व्यापारिक बातचीत में हम इन सारे महत्वपूर्ण सिद्धांतों को ध्यान में रखेंगे।' यह वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है कि इन महत्वपूर्ण सिद्धांतों को डब्लूटीओ समझौतों में जीवित रखने या फिर जरूरत पड़ने पर डब्लूटीओ को छोड़ देने के अवसर को

बुरी तरह छोड़ दिया गया। यह भारत के साथ ही विकासषील और अल्प विकसित देषों के गरीबों और भूखों के साथ अन्याय है।

''यदि 1995 में, भारत जैसे कई देष, इस खेल के चालक नियमों को समझे बगैर, और सिर्फ किए गए वादों से प्रलोभित होकर डब्लूटीओ में गए होते तो शायद यह क्षम्य होता। लेकिन 2013 में, अब जब्कि यह पूरी तरह स्पष्ट है कि ग्रीन बॉक्स और एम्बर बॉक्स, और ट्रेड–डिस्टोर्टिंग और नॉन–ट्रेड डिस्टोर्टिंग में श्रेणीबद्धता का तंत्र पूरी तरह विकसित देषों के पक्ष में है। और ये नियम केवल हमारे किसानों के सारे ही सहयोगी तंत्र को कमजोर कर रहे हैं। भारत के पास डब्लूटीओ से किसी भी किस्म के आदान–प्रदान का कोई बहाना नहीं है। भारत को इस मसौदे को स्वीकारने की क्या जरूरत थी? क्या तथाकथित सरोकारों के दावे केवल चुनाव से संबंधित पीआर एक्सर्साइज थी? यह बिल्कुल अस्वीकार्य है।'' यह बात आषा ने आज, बयान जारी करके कही है।

बयान में यह भी कहा गया हैः ''यह शुरूआत से ही स्पष्ट है कि व्यापार सुविधा समझौता इस डब्लुटीओ बैठक का मुख्य बिन्दु था, जिसे विकसित देषों और डब्लुटीओ के नेता एक बड़ी उपलब्धि के रूप में देख रहे हैं। भारत में मीडिया और सार्वजनिक बहसों में भोजन सुरक्षा के मसले को ज्यादा केंद्रित करते हुए व्यापार सुविधाओं के मसले को दरकिनार कर दिया जा रहा है। और अमेरिका की योजना यह लगती है कि– सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग समझौतों को व्यापार सुविधाओं के लिए दुविधा के रूप में प्रयोग किया जाए। जब्कि उन्होंने सार्वजनिक स्टॉक होल्डिंग, के लिए भरपूर सौदेबाजी की परन्तु भारत ने सिवाय भोजन और आजीविका की सुरक्षा देने के अतिरिक्त व्यापार सुविधाओं के लिए बिल्कुल भी सौदेबाजी नहीं की।''

''यह निराषाजनक है कि बाली पैकेज में ऐतिहासिक गलतियों को सुधारने के लिए कुछ नहीं किया गया। तथ्य यह है कि विकसित देषों ने शुरूआत से ही नियमों में धांधली की जिससे वे विभिन्न तरीकों से, डब्लूटीओ की वेदी पर सिखाई गई मुक्त व्यापार की विचारधारा को बेतहाषा सब्सिडी मुहैया करा सके और विकासषील देष के लघु धारक उत्पादकों को मूल्य निर्धारण से बाहर कर सके। अनुचित व्यापार के खिलाफ व्यापक लड़ाई जारी है।'' आशा ने कहा।

आशा, सभी किसान परिवारों की आजीविका सुरक्षा, पारिस्थितिकि अनुरूप टिकाऊ कृषि, बीजों, जमीन और जल पर किसान समुदाय के हकों, और सभी के लिए सुरक्षित और पौष्टिक आहार की उपलब्धता पर आधारित किसान स्वराज के लिए कार्यरत राष्ट्रव्यापी किसान संगठनों, सिविल सोसाइटी समूहों, षिक्षाविदों और वैज्ञानिकों का एक राष्ट्रव्यापी नेटवर्क है।